


## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: प. /मुसप्र/कर्मचारी संघ/समझौता/2012/22 दिनांक:- 26-4-2012

### आदेश


आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं में शैक्षणिक संस्थाओं को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आरक्षित/रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमि के आवंटन पत्रों में मण्डल कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश में 5 प्रतिशत का आरक्षण एवं शिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत दिये जाने सम्बन्धित शर्त की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जारी किये गये कार्यालय आदेश क्रमांक : प. /मुसप्र/कर्मचारी संघ/समझौता/2012/3182 दिनांक 20.04.2012 को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म. जयपुर।
- 3 वरिष्ठ निजी सहायक-वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा.आ.म. जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.म. जयपुर।
- 5 उप आवासन आयुक्त, वृत ..... रा.आ.म. .... ।
- 6 आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... रा.आ.म. .... ।
- 7 सम्बन्धित कर्मचारी संगठन, ..... रा.आ.म., जयपुर।
- 8 जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 9 एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेब साइट पर डालने तथा सभी वृत कार्यालयों को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित है।
- 10 रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक